राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 851/2023

राहुल कुमार मुनिम (कर्मचारी आई.डी.– आरजेबीडब्ल्यू201508014554)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, (उच्च शिक्षा) उच्च एवं तकनीकि शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.02.2023
आदेश की दिनांक : 10.02.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री कमलेश शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी सहायक आचार्य के पद पर राजकीय महाविद्यालय, शिवगंज (Sheoganj) में कार्यरत है। आदेश दिनांक 14.01.2023 के जरिये अपीलार्थी का स्थानांतरण शिवगंज से ब्यावर किया गया था। इसके पश्चात् आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से ब्यावर स्थानांतरणाधीन दर्शाते हुए दिनांक 14.01.2023 का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर शिवगंज में ही किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को ब्यावर अपीलार्थी के निवेदन पर उसकी अनेक परेशानियों को देखते हुए स्थानांतरण किया था, जो बिना किसी कारण के निरस्त किया गया। अपीलार्थी के एक 4 वर्षीय पुत्री है तथा अपीलार्थी की माता वरिष्ठ नागरिक है, जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है। जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही है। आगे उनका तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में है तथा राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति के अनुसार पति–पत्नी

दोनों के राजकीय सेवा में होने पर उन्हें यथासंभव एक ही स्थान पर अथवा पास–पास कार्यरत रखा जाना चाहिए। इसी नीति के अनुसार अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश पारित किया गया था, जिसे बाद में निरस्त कर शिवगंज की कार्यरत रखा गया है, जो उचित नहीं है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 3 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)